दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या:प्लेक्स/सर्किल/0372 दिनांक : 29.07.2025

प्रति,
प्लेक्सकाउंसिल के सभी सदस्य/
सीओए

महोदय / महोदया,

विषय : विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 2.12 पर स्पष्टीकरण

संदर्भ : वाणिज्य महानिदेशालय (डीजीएफटी) नीति परिपत्र संख्या 02 /2025-26, दिनांक 22 जुलाई 2025

हम आपको विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 2.12 में हाल ही में किए गए परिवर्तन के बारे में सूचित करना चाहते हैं। पूर्व में, यह प्रावधान ऐसे माल को क्लीयर करने की अनुमति देता था जो पहले ही आयातित, प्रेषित या आगमन कर चुके थे (लेकिन कस्टम्स द्वारा अभी तक क्लीयर नहीं किए गए थे), बशर्ते कि उनके लिए प्राधिकरण (जैसे अग्रिम प्राधिकरण) बाद में जारी किया गया हो। सामान्यतः, ऐसे माल को पहले गोदाम में रखा जाता था और बाद में क्लीयर किया जाता था।

हालांकि, उपरोक्त उल्लिखित नीति परिपत्र के अनुसार, वाणिज्य महानिदेशालय ने स्पष्ट किया है कि निम्नलिखित स्थिति में गोदाम में रखना **अनिवार्य नहीं** है:

• यदि प्राधिकरण कस्टम क्लीयरेंस से पहले प्राप्त कर लिया गया हो, भले ही माल प्राधिकरण जारी होने से पहले ही प्रेषित किया गया हो।

यह स्पष्टीकरण आयातकों के लिए अनावश्यक लागत और प्रक्रियागत देरी को कम करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। कृपया ध्यान दें कि यह छूट 'प्रतिबंधित' वस्तुओं या राज्य व्यापार उपक्रमों (STEs) के माध्यम से व्यापार की जाने वाली वस्तुओं पर **लागू नहीं होती**, जब तक कि डीजीएफटी द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित न किया गया हो।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संलग्न नीति परिपत्र देखें।

यह केवल आपकी जानकारी के लिए है।

सादर

भारती परवे
उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)
प्लेक्सकाउंसिल